

सु. नं. 111/1996
हुसूम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज
द्वारा- 183 RTA

12/20

अधिवक्तागण उपस्थित। वादी गुरनेन्द्र सिंह की ओर से धरिए अधिवक्ता प्राथमिक पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी का प्रतिवादीगण से राजीनामा हो गया है। इसलिए वादी उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता। तथा वाद को इसी स्टेज पर नोटप्रेस करना चाहता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में पेश काउन्टर क्लेम नोटप्रेस किया।

Sub. pd
dres
12/2/20
not press
in court
claim
13/2/20

Karant Singh
मैट्टर रजिस्टर्ड

अधिवक्तागण को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र नोटप्रेस करने पर व प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से पेश काउन्टर क्लेम नोटप्रेस करने पर वादी का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का काउन्टर क्लेम इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्गति होकर नम्बर से कम हो



(मूलचन्द्र लूणिया)
उपस्थान अधिकारी (सिजिल)
श्रीकटनपुर